

चिकित्सा—विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

वर्ष —43 ● अंक —8 से 13 ● कानपुर 1 से 15 जुलाई 2021 ● प्रधान सम्पादक — डा० एम० इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

11 वाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विजय दिवस सम्पन्न

आज का नया सवेरा संभावनाओं भरा है यह उदाहरण बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की विशेष कार्याधिकारी शाहीना इदरीसी ने व्यक्त किये, उन्होंने कहा कि आज ही की तिथि को भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने एक अति स्पष्ट आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास हेतु जारी किया था जो राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश के साथ — साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु दिशा निर्देश भी है।

इसी क्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने कहा कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये भील का पत्थर है, यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के नाम से 21 जून, 2011 को जारी हुआ था जो भारत सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शिक्षा हेतु आ तक का एक पूर्ण आदेश है, इसके पूर्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये जो भी आदेश समय—समय पर जारी हुये हैं वह परामर्श मात्र हैं यही एक मात्र ऐसा स्पष्ट आदेश है जिसमें सब कुछ साफ—साफ है अर्थात् इस आदेश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये अनेक

अधिकारिता का परिचायक है जनपदीय पंजीयन

जनपदीय पंजीयन का सूचनापत्र है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह मुकदमा जो अवमाननवाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए० पी० वर्मा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश व अन्य, इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायमूर्ति ने शिक्षित, प्रशिक्षित, पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सकों की पहचान के लिये आदेश जारी कर प्रदेश में संचालित चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सकों को पंजीकरण हेतु निर्देश जारी किये।

जारी निर्देशानुसार चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को शासन के प्रमुख सचिव कार्यालय में एक निश्चित तिथि तक पंजीकरण कराना था तथा All the Hospitals, Nursing Homes, Maternity Homes, Medical Clinics, Private Practitioners, Practicing Medicine and offering Medical and Health Care services, Pathology Labs, Diagnostic clinics whether run privately or by firms, Societies, Trusts, Private limited or Public limited Companies in the state shall register themselves with chief medical officer of the District where these establishment are situate giving full details of the medical facilities offered at these establishment, the names of the registered and authorized medical personal practicing, employed or engaged by them, their qualifications with proof of their registrations, the Para medical staff employed or engaged and there qualification on a form (for each category) prescribed by the principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, Government of U.P. The prescribed Proforma with true and accurate information shall be submitted, supported by an affidavit of the person providing such medical services or the person in charge of such establishment sworn before Notary Public. The required information shall be submitted for registration by all these persons on or before 30.4.2004. तथा उपरोक्त समस्त को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना था।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2914/ पांच- 6-10-23 रिट/ 11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 जारी किया है, जिसकी प्रति अन्य के साथ प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी पृष्ठांकित एवं प्रेषित की गयी है, जारी आदेश के अनुसार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में चिकित्सकों/ चिकित्सालयों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाता था।

उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1297/ 71 - आयुष- 1 - 2016- डब्लू- 283 / 2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 द्वारा वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया गया है, संशोधित व्यवस्था के अनुसार जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एलोपैथी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी तथा जिला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा होम्योपैथी पद्धति में चिकित्सा करने वालों का ही पंजीयन किया जाता है, आयुष अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1297/71 - आयुष-1- 2016- डब्लू-283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 के आलोक एवं चिकित्सा अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2914/पांच-6-10-23 रिट/ 11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का जनपदीय पंजीयन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा जारी जनपदीय पंजीयन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा की अधिकारिता का परिचायक है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया



का मुख्य उद्देश्य
भारत सरकार स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण मन्त्रालय
के
आदेश सं०

C.30011/22/2010-HR
दिनांक 21-06-2011

के
**अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक
चिकित्सा**
एवं

**शिक्षा का प्रसार करना
तथा**

**सामुदायिक स्तर पर
इलेक्ट्रो होम्योपैथी
को
स्थापित करना**



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम०एच० इदरीसी 11वें विजय दिवस पर चिकित्सकों से अपने पद्धति में इलाज करने के लिये प्रोत्साहित करते हुये

प्रदेश में जनपदीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालयों की स्थापना जोरों पर

प्रदेश में अनेक जिलों में जनपदीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालयों की स्थापना की जा रही है इसी कड़ी में महाराजगंज में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय की स्थापना की गयी जिसका उद्घाटन वनवासी कल्याण आश्रम के जिलाध्यक्ष जगदीश गुप्त एवं संगठन मंत्री श्री सचिन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने चिकित्सा की उक्त पद्धति को असाध्य रोगों में बेहद प्रभावकारी मानते हुए उसके प्रभाव की चर्चा विस्तार से की। इस मौके पर डा०अराविन्द श्रीवास्तव, डा०प्रिंस श्रीवास्तव, डा०प्रियंका, श्रीवास्तव, राजनाथ भारती, दुर्गा मद्देशिया, आकाशा, अंकिता, संध्या, निशा, गुलफसा, नेमा, साक्षी एवं जुलेखा आदि मौजूद थी।

**इलेक्ट्रो होम्योपैथिक
मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया**

11वें विजय दिवस समारोह
दिनांक 21 जून, 2021 दिन -सोमवार

अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट
इन्डपुरी कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ

डॉ. आशुतोष कपूर
मो. 7007592773

डॉ. आर.के. कपूर
मो. 8299165010



11 वें विजय दिवस के अवसर पर वलीदपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टडी सेन्टर वलीदपुर, मऊ में डा० अय्याज अहमद एवं अन्य चिकित्सकण इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर चर्चा करते हुये



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के प्रशासनिक कार्यालय में 11वें विजय दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते मो० नरेश इदरीसी



इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के तत्वधान में डी०एल०एम०एम० स्टडी सेन्टर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, महाराजगंज के संचालक डा० प्रिंस श्रीवास्तव 11वें विजय दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिविर में रोगियों का इलाज करते हुये छाया गजट



बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)



8—लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001

प्रशासन कार्यालय : 127 / 204 "एस" जूही, कानपुर—208014

website- www.behm.org.in

Email: registrarbehmup@gmail.com

F.M.E.H. व A.C.E.H. पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निम्न जनपदों में स्टडी सेन्टर्स स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन **आमंत्रित हैं**

इलाहाबाद, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फर नगर, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, फैजाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, गाजीपुर, बलिया, वाराणासी, चन्दौली, भदोई, औरैया, फरुखाबाद एवं कन्नौज।

आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	Registered Practitioner Any Branch or Equivalent	1 Semester
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years